संख्या 1159/XIV–1/2007

प्रेषक,

पी0 के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 4 दिसम्बर 2007

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (ट्रायबल सब प्लान) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (ट्रायबल सब प्लान) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों एवं सामान्य कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण /दीर्घकालीन ऋण /आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 13.50 लाख (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 571/XIV–1/2007 दिनांक 28.11.2007 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार

होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर तद्नुसार व्यय 31.03.2008 तक सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा अवशेष धनराशि 31.03.2008 को शासन को समर्पित की जाय।

उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2425– सहकारिता–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–00–05–सहकारी सहभागिता योजना–00–20–सहायक अनुदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशा0पत्र संख्या– 390(P)/XXVII-4 /दिनांक 04.12.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0 के0 महान्ति)
सचिव।

संख्याः– 1159/2006/XIV–1/2006,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमंख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी; अल्मोडा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव/ महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।